न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 147/2016 दायरा दिनांक : 12.08.2016

उनवान

1– ऊंकार वल्द बरदा
2– भंवर वल्द बरदा
3– धापू बाई वल्द बरदा
4– भूली बाई वल्द बरदा
5– रतन वल्द रूग्गा
6– चन्दर वल्द रूग्गा
7– किशन वल्द रूग्गा
8– अमेर बाई बेवा रूग्गा
अकवाम बागरी सकनाय देवगढ़, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– मांगू लाल वल्द नरमा
2– सज्जन बाई पुत्री नरमा
3– फत्ता वल्द भावा
4– कालू वल्द गम्भीर
5– राधू वल्द गम्भीर
6– नग्गा वल्द गम्भीर

1/11/2023
डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

7— रोड़ा वल्द गम्भीर

8— बरदा वल्द गम्भीर

9— भगवान वल्द गम्भीर

10— श्यामलाल वल्द गम्भीर

11— सन्तरा बाई उर्फ शांति बाई वल्द गम्भीर

12— दुली बाई वल्द गम्भीर

13— भूली बाई बेवा गम्भीर

14— अमेर बाई बेवा शंकर

15— गंगाराम वल्द सेवा

16— थावर लाल वल्द सेवा

17— गीताबाई वल्द सेवा

18— सोहन बाई वल्द सेवा

19— फत्ती बाई बेवा सेवा

20— दरयाव बाई बेवा कचरू

21— कुशाल बाई पुत्री कचरू नाबालिग जर्ये वली माता दरयाब बाई

22— नारायण वल्द माधू

23— कालू वल्द माधू

24— मेथी बाई बेवा माधू

अकवाम बागरी सकनाय पीपल्दा का खेड़ा, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

25— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

20/1/2023

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

उपस्थित – श्री तंवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्याम सुन्दर शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 3, 5, 7, 8, 15, 16, 22, 23 एवं श्री अरूण ढोढिया रेस्पोडेंट नम्बर 1 की ओर से शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार जिससे वाद संख्या – 221/दावा/2015 वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया।

निर्णय दिनांक : 20.01.2023

1 **वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं –**

2 अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया।

3 यह कि ग्राम पीपल्दा, तहसील गंगधार में आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 20 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 27 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 29 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 30 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 6 बिस्वा,

20/1/2023
डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

खसरा नम्बर 34 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 35 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 36 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 37 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 40 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 48 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 53 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 54 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 55 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 56 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 63 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 65 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 68 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 69 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 71 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 73 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 रकबा 1 बिस्वा कुल 42 किता कुल रकबा 52 बीघा 5 बिस्वा स्थित है।

4 यह कि वादग्रस्त आराजी वादी नम्बर 1 व 2 के दादा भावा वल्द घीसू बागरी के खाते व कब्जे की आराजी थी। भावा के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी जर्ये फौती इन्तकाल नम्बर 41 से उनके पांच पुत्र सेवा, माधू, नरभा, फत्ता, गंमीर व एक मृतक पुत्र शंकर की बेवा अमर बाई के खाते दर्ज हुई।

5 यह कि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा जब तक भावा वल्द घीसू जी जीवित थे उनका कब्जा चला आ रहा था व उनके देहान्त के बाद उनके वारिसान पांचों पुत्र व मृतक पुत्र की बेवा का कब्जा चला आ रहा है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

6 यह कि भावा के पांच पुत्रों में से चार पुत्र का देहान्त हो चुका है। मृतक पुत्र सेवा के कानूनी वारिस प्रतिवादी नं. 10 लगायत 16, मृतक पुत्र माधू के कानूनी वारिस प्रतिवादी नं. 17 लगायत 19, मृतक पुत्र नरभा के कानूनी वारिस वादी नं. 1 व 2 व मृतक पुत्र गंभीर के कानूनी वारिस वादी नं. 4 लगायत 13 हैं।

7 यह कि वादग्रस्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादी नं. 10 लगायत 19 अपने अपने हिस्से मुताबिक हांक रहे हैं। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है।

8 यह कि प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के पिता व प्रतिवादी नं. 5 के पति बरदा आत्मज भीमा व प्रतिवादी नं. 6 लगायत 8 के पिता व प्रतिवादी नं. 9 के पति रूग्गा आत्मज भीमा ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त आराजी पर बतौर सहखातेदार अपना नाम भी नामान्तरकरण संख्या 181 से दिनांक 24.12.99 को दर्ज करा लिया जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.94 के आधार पर दर्ज करना जाहिर किया जो कतई गलत है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.094 में बरदा व रूग्गा का वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इस कारण डिक्री दिनांक 30.05.94 के आधार पर जो नामान्तरकरण नं. 181 दिनांक 24.12.99 को दर्ज किया है वह शून्य है।

9 यह कि माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.94 जिसके आधार पर नामान्तरकरण नं. 181 तस्दीक किया है वह वाद धूला व लक्ष्मण के वारिसान दौला पूरा वगैरा ने भावा के वारिसान सेवा वगैरा पर लगाया था जिसमें दौला पूरा वगैरा ने वादग्रस्त आराजी जो कि उस वक्त 80 बीघा 15 बिस्वा थी में से 25

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

बीघा 2 बिस्वा भूमि स्वयं के खाते दर्ज करने का लगाया था जिसमें बरदा व रूग्गा को भी प्रतिवादी नं. 7 व 8 के रूप में पक्षकार बनाया था। इस वाद में प्रतिवादी नं. 7 व 8 द्वारा स्वयं को खातेदार घोषित करने बाबत कोई प्रार्थना नहीं की थी व न ही जवाबदावा दिया था व न ही दौला वगैरा ने प्रार्थना की थी व न ही माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.94 में बरदा व रूग्गा को वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने की घोषणा ही की थी।

10 यह कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.5.94 को निम्न प्रकार से डिक्री पारित की "वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। ग्राम पीपल्दा, तहसील गंगधार की खतौनी संख्या 124 पर दर्ज 80 बीघा 15 बिस्वा का वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा वाद के पैरा नं. 4 में वर्णित आराजी पृथक से वादीगण के खाते दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है।" उपरोक्त डिक्री में वर्णित आदेश से स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा केवल वादीगण के हक में डिक्री पारित की है। प्रतिवादी नं. 7 बरदा व प्रतिवादी नं. 8 रूग्गा के हक में कोई आदेश नहीं है। इस कारण जो नामान्तरकरण के जर्ये रूग्गा व बरदा का नाम दर्ज हुआ है वह गलत है।

11 यह कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 10 लगायत 19 है। बरदा आत्मज भीमा व रूग्गा आत्मज भीमा को वादग्रस्त आराजी पर कोई अधिकार अथवा हक प्राप्त नहीं है व बरदा व रूग्गा वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक नहीं है व उनका नाम गलत दर्ज हुआ है व फिर उनके देहान्त के बाद जो फौती इन्तकाल उनके वारिसान के नाम खुला है वह भी गलत है व निरस्तनीय है व नामान्तरकरण नं. 299 व 347 प्रभावशून्य है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

12 यह कि चूंकि वादग्रस्त आराजी पर मृतक बरदा व रूग्गा को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है व न ही उनका हिस्सा है। इस कारण उनके वारिसान प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 को भी वादग्रस्त आराजी पर कोई खातेदारी अधिकार अथवा हक हासिल नहीं है उनका नाम हटने योग्य है।

13 यह कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 का नाम गलत रूप से दर्ज होने की जानकारी वादीगण को सर्वप्रथम 28.04.2010 को हुई जब वादीगण ने जवाबदी की नकल प्राप्त की है फिर पुराना रेकार्ड निकलवाया तब इस गलत इन्द्राज की जानकारी हुई।

14 यह कि प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 को वादग्रस्त आराजी पर कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है व वादग्रस्त आराजी केवल वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 10 लगायत 19 के शामलाती खाते की आराजी है। इस आशय की घोषणा कराने की वादीगण पात्रता रखते हैं।

15 यह कि प्रतिवादी नं. 10 लगायत 19 से वादीगण का विवाद चल रहा है तथा उन्होंने वाद में वादीगण के रूप में पक्षकार बनने से इन्कार कर दिया है, इस कारण उन्हें प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया है।

16 यह कि प्रतिवादी नं. 20 को लैण्ड होल्डर्स होने से पक्षकार बनाया है।

17 यह कि वाद कारण दिनांक 28.04.2010 को पैदा हुआ।

18 वादीगण प्रार्थना करते हैं कि यह घोषणा की जावे कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

4 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 5 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 16 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 17 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 20 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 23 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 27 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 29 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 30 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 34 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 35 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 36 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 37 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 40 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 45 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 47 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 48 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 51 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 52 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 53 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 54 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 55 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 56 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 63 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 65 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 66 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 68 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 69 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 71 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 73 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 76 रकबा 1 बिस्वा कुल 42 किता कुल रकबा 52 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम पीपल्दा, तहसील गंगधार के खातेदार केवल वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 19 हैं तथा वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 को कोई खातेदारी हक प्राप्त नहीं है उनका नाम खाते से हटने योग्य है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 का नाम खाते से कम

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास नहीं करें। वादग्रस्त आराजी में मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करें और न ही अपने नौकर, एजेन्ट, मित्र से करावें।

19 **अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य इस प्रकार हैं**

20 यह कि ग्राम पीपल्दा, तहसील गंगधार की जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 के खाता संख्या 113 कुल किता 42 रकबा 52.05 बीघा भूमि स्थित है जिसके बाबत यह वाद पेश किया जा रहा है। वादग्रस्त आराजी वादी नम्बर 1 व 2 के दादा भावा वल्द घीसू बागरी के खाते व कब्जे की आराजी थी। भावा के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी जर्ये फौती इन्तकाल नम्बर 41 से उनके पांच पुत्र सेवा, माधू, नरभा, भत्ता, गमीर व एक मृतक पुत्र शंकर की बेवा अमर बाई के खाते दर्ज हुई।

21 वादग्रस्त आराजी पर कब्जा जब तक भावा वल्द घीसू जी जीवित थे, उनका कब्जा चला आ रहा था व उनके देहान्त के बाद उनके वारिसान पांचों पुत्र व मृतक पुत्र की बेवा का कब्जा चला आ रहा है। भावा के पांच पुत्रों में से चार पुत्र का देहान्त हो चुका है। मृतक पुत्र सेवा के कानूनी वारिस प्रतिवादी नं. 10 लगायत 16, मृतक पुत्र माधू के कानूनी वारिस प्रतिवादी नं. 17 लगायत 19, मृतक पुत्र नरभा के कानूनी वारिस वादी नं. 1 व 2 व मृतक पुत्र गंभीर के कानूनी वारिस वादी नं. 4 लगायत 13 हैं।

22 वादग्रस्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादी नं. 10 लगायत 19 अपने अपने हिस्से मुताबिक हांक रहे हैं। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 4 के पिता व प्रतिवादी नं. 5 के पति बरदा आत्मज भीमा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

व प्रतिवादी नं. 6 लगायत 8 के पिता व प्रतिवादी नं. 9 के पति रूग्गा आत्मज भीमा ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त आराजी पर बतौर सहखातेदार अपना नाम भी नामान्तरकरण संख्या 181 से दिनांक 24.12.99 को दर्ज करा लिया जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.94 के आधार पर दर्ज करना जाहिर किया जो कतई गलत है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.094 में बरदा व रूग्गा का वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। इस कारण डिक्री दिनांक 30.05.94 के आधार पर जो नामान्तरकरण नं. 181 दिनांक 24.12.99 को दर्ज किया है वह शून्य है।

23 माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.5.94 जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 181 तस्दीक किया गया है । वह वाद धूला व लक्ष्मण के वारिसान दौला पूरा वगैराह ने भावा के वारिसान सेवा वगैराह पर लगाया था जिसमें दौला पूरा वगैरहा ने वादग्रस्त आराजी जो कि उस वक्त 80 बीघा 15 बिस्वा थी में से 25 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्वयं के खाते दर्ज करने का लगाया था जिसमें बरदा व रूग्गा को भी प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 के रूप में पक्षकार बनाया था। इस वाद में प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 ने स्वयं को खातेदार घोषित करने बाबत कोई प्रार्थना नहीं की थी व न ही जवाबदावा दिया था व न ही दौला वगैराह ने प्रार्थना की थी व न ही माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.94 में बरदा व रूग्गा को वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने की घोषणा ही की थी।

24 माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.94 को निम्न प्रकार डिक्री पारित की । वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम पीपल्दा, तहसील गंगधार की खतौनी संख्या 124 पर दर्ज 80 बीघा 15 बिस्वा का वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

है तथा वाद के पैरा नम्बर 4 में वर्णित आराजी पृथक से वादीगण के खाते दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है। उपरोक्त वर्णित आदेश से यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा केवल वादीगण के हक में डिक्री पारित की है। प्रतिवादी नम्बर 7 बरदा व प्रतिवादी नम्बर 8 रूग्गा के हक में कोई आदेश नहीं है। इस कारण जो नामान्तरकरण के जर्ये बरदा व रूग्गा का नाम दर्ज हुआ, वह गलत है। वादग्रस्त आराजी के खातेदार वादीगण एवं प्रतवादी नम्बर 10 से 19 है।

25 बरदा आत्मज भीमा व रूग्गा आत्मज भीमा को वादग्रस्त आराजी पर कोई अधिकार अथवा हक प्राप्त नहीं है व बरदा व रूग्गा वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक नहीं है व उनका नाम गलत दर्ज हुआ है व फिर उनके देहान्त ग्राद जो फोती इंतकाल उनके वारिसान के नाम खुला है वह भी गलत है व निरस्तनीय है व नामान्तरकरण संख्या 299 व 347 प्रभावशून्य है। चूंकि वादग्रस्त आराजी पर मृतक बरदा व रूग्गा को कोई खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं है व न ही उनका हिस्सा है। इस कारण उनके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 को भी वादग्रस्त आराजी पर कोई खातेदारी अधिकार व हक हासिल नहीं है। उनके नाम हटने योग्य है।

26 वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 के नाम गलत रूप से दर्ज होने की आनकारी सर्वप्रथम दिनांक 28.04.2010 को हुई। जब वादीगण ने जमाबंदी की नकल प्राप्त की फिर पुराना रेकार्ड निकलवाया तब इस गलत इन्द्राज की जानकारी हुई। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 9 को वादग्रस्त आराजी पर कोई खातेदार अधिकार प्राप्त नहीं है व वादग्रस्त आराजी केवल वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 19 के शामलाती खाते की आराजी है। इस आशय की घोषणा कराने की वादीगण पात्रता रखते हैं।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

27 प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 19 से वादीगण का विवाद चल रहा है। इस कारण उन्हें वाद में प्रतिवादी बनाया गया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जावे तथा ग्राम पीपल्दा, तहसील गंगधार की जमाबंदी सम्वत 2064–2067 के खाता संख्या 113 कुल किता 42 रकबा 52 बीघा 5 बिस्वा के खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 19 हैं एवं वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है। उनका नाम खाते से हटने योग्य है। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 का नाम खाते से कम किये जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी में बेजा मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करें तथा न ही किसी अन्य से करावें।

28 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को न्यायालय में तलब किये गए। प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 व 10 से 12 एवं 14 से 19 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। वकील वादी द्वारा दिनांक 02.07.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी नम्बर 5 को देहान्त हो चुका है तथा प्रतिवादी नम्बर 5 के कायम मुकामान पूर्व से ही दावे में पक्षकार हैं। अतः प्रतिवादी नम्बर 5 का नाम दावे से डिलीट किया जावे।

29 प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 5 का नाम दावे से डिलीट किए जाने के आदेश दिए गए। इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी नम्बर 13 सोहन बाई के विरूद्ध दावे में कोई सहायता नहीं चाही गई है। अतः सोहन बाई का हक सुरक्षित रखते हुए वाद का निर्णय किया जावे।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

30 वकील वादी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । वकील वादी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र भी स्वीकार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादी नम्बर 6 से 9 को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु काफी समय दिए जाने के उपरान्त भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 28.10.2015 को जवाब प्रतिवादी बन्द किए जाने के आदेश पारित किए गए। वादी साक्ष्य में वादी की ओर से गवाह फत्ता, राधू, कालू, रत्ता व शम्भू के लिखित बयानों के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। वादीगण की ओर से वादपत्र के समर्थन में ग्राम पीपल्दा की जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 प्रदर्श पी 1, नकल जमाबंदी सम्वत 2056–2059 प्रदर्श पी 2, व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.1994 प्रदर्श पी 3 नकल डिक्री दिनांक 30.05.1994 प्रदर्श पी 4, नकल नामान्तरकरण संख्या संख्या 181 ग्राम पीपल्दा पी 5 प्रस्तुत किए गए।

31 हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया । वादीगण की ओर से वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नकल निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.1994 प्रदर्श पी 3 व 4 से यह स्पष्ट है कि ग्राम पीपल्दा की आराजी खाता संख्या 124 जिसका रकबा 80.15 बीघा था का तत्कालीन वाद में प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित किया गया था तथा वाद के पैरा नम्बर 4 में वर्णित आराजी का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया गया था। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 113 रकबा 52.05 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 19 के कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 को कोई कानूनी हक हासिल नहीं हैं उन्हें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 30.05.1994 द्वारा तत्समय प्रस्तुत वाद के चरण कम 4 में वर्णित आराजी के खातेदार

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

घोषित किए जाने से वादग्रस्त आराजी में उनके अधिकार समाप्त हो गए हैं। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 के नाम खाते से कम कराने के पात्र पाए जाते हैं।

32 अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पीपल्दा, तहसील गंगधार की जमाबंदी सम्वत 2064–2067 के खाता संख्या 113 किता 42 रकबा 52.05 बीघा भूमि में से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 के नाम खाते से कम किए जाने की आज्ञा दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

33 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि – अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर आयी साक्ष्य के विपरीत है, जो अपास्त होने योग्य है।

34 यह कि अपीलांट्स तथा रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 14 घीसूलाल के वंशज है। रोडा तथा घीसू दो भाई थे। घीसू के दो लडके भावा तथा भीमा थे। भावा के रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 14 वारिस है तथा भीमा के अपीलांट्स वारिस हैं। रोडा के वारिसों ने अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के खिलाफ एक दावा 1990 में विवादित आराजियात के बाबत किया था जिसका निर्णय दिनांक 30.05.1994 को हो चुका है एवं इस निर्णय की पालना में ही नामान्तरकरण तस्दीक किया गया तथा अपीलांट्स का नाम खातेदारी में दर्ज किया गया। इस निर्णय के खिलाफ रेस्पोडेंट् नम्बर 1 लगायत 14 ने श्रीमान् के यहां अपील पेश की थी जो दिनांक 29.06.2012 को खारिज हो चुकी है। रेस्पोडेंट्स नम्बर 1 लगायत 14 द्वारा गलत तरीके से यह दावा पेश किया, जो रेसजूडिकेटा की श्रेणी में आता है जिस कारण निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

35 यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट एवं उसके अभिभाषक को सुने गलत तरीके से कानून के खिलाफ लोक अदालत में निर्णय पारित किया है। दावे में अपीलांट्स का गलत तरीके से जवाब बन्द कर दिया तथा अपीलांट की साक्ष्य भी नहीं ली गई तथा रेस्पोडेंट की साक्ष्य से भी अपीलांट के अभिभाषक को जिरह नहीं करवायी गई। यह सब फर्जी कार्यवाही विजय पोरवाल लिपिक ने की है। विजय पोरवाल लिपिक पक्षकारों से साज कर पत्रावलियों में फर्जी कार्यवाहियां करता था जिस कारण अभिभाषक परिषद द्वारा एक माह तक एस डी ओ कोर्ट का बहिष्कार किया तथा विजय पोरवाल का ट्रांसफर होने के बाद ही एस डी ओ कोर्ट का कार्य चालू किया गया। जिस कारण से निर्णय व डिक्री सर्वथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

36 यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री मनमाना है, परवर्स है तथा केप्रीशियस होने से अपास्त होने योग्य है।

37 यह कि दिनांक 24.05.2016 को पटवारी जी गांव में आये तथा निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को दी। अपीलांट ने उसी दिन अपने वकील सराहब से सम्पर्क किया तथा वकील साहब को बताया तो वकील साहब ने अदालत में जाकर पत्रावली का अवलोकन किया तो पता चला कि दिनांक 12.12.2015 को ही लोक अदालत में निर्णय व डिक्री पारित फरमा दी गई है जिस कारण दिनांक 24.05.2016 को ही नकल दरखास्त दी गई तथा प्राप्त की गई तथा रूपयों का इंतजाम कर बिना किसी देरी के यह अपील पेश की जा रही है जो अन्दर मियाद मानी जावे। प्रार्थना पत्र मियाद कानून पृथक से मय शपथ पत्र पेश है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

38 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 अपास्त की जावे।

39 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.05.2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

40 अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 व धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत स्थगन आदेश पेश किया गया । जो स्वीकार किया जाकर दिनांक 12.08.2016 को विवादित आराजी रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति प्रदान की गई।

41 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

42 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 14 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.ए. में पेश किया।

43 ग्राम पीपल्दा तहसील गंगधार में आराजी कुल किता 42 कुल रकबा 52 बीघा 5 बिस्वा स्थित है उक्त आराजी में से अपीलांट्स का नाम हटाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश कि कि अपीलांट के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त आराजी बतौर सहखातेदार अपना नाम भी नामान्तरकरण नम्बर 181 से दिनांक 24.12.99 को दर्ज करा लिया, जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.1994 के आधार पर दर्ज करना जाहिर किया, जो

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

कतई गलत है। जिसमें अपीलांट्स का नाम हटाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया।

44 अपीलांट की ओर से दिनांक 14.05.2014 को वकालतनामा पेश किया गया तथा अन्य प्रतिवादीगण की तलबी एवं जवाबदावे में तारीख पेशियां दी गई। दिनांक 06.08.2014, 17.09.2014 को बार द्वारा कार्य स्थगित किया। दिनांक 10.12.2014 को पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से तारीख बदली।

45 दिनांक 14.01.2015 को पीठासीन अधिकारी पंचायत चुनाव में व्यस्त होने से तारीख बदली, दिनांक 25.02.2015 को पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर जाने से तारीख बदली।

46 दिनांक 18.03.2015 को बार द्वारा कार्य स्थगित करने से तारीख बदली, दिनांक 29.07.2015 व 05.08.2015 को जवाब हेतु अवसर दिया गया, दिनांक 02.09.2015 को पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त होने से तारीख बदली।

47 दिनांक 07.10.2015 को जवाब हेतु अन्तिम अवसर देकर तारीख बदली तथा दिनांक 28.10.2015 को जवाब बन्द कर साक्ष्य में दिनांक 18.11.2015 को तारीख पेश दी गई व वादी साक्ष्य ली गई तथा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किये गये। इन गवाह से जिरह भी नहीं हुई तथा बहस में दिनांक 02.12.2015 तारीख पेशी दी गई तथा इस दिन आदेशिका पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं हो रहे हैं तथा दिनांक 02.12.2015 को बहस सुनी बताकर दिनांक 12.12.2015 लोक अदालत में आदेश हेतु तारीख पेशी दी गई है।

48 पत्रावली में साक्ष्य ली इसकी जानकारी अपीलांट्स के अभिभाषक को नहीं है और आदेशिका में उनकी उपस्थिति बता रखी है तथा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

उनके आदेशिका पर हस्ताक्षर भी नहीं है तथा उन्हें साक्षी से जिरह करने का अवसर भी नहीं दिया गया तथा दिनांक 02.12.2015 को भी पत्रावली में बहस नहीं हुई तथा अपीलांट के अभिभाषक को इसकी जानकारी भी नहीं है तथा आदेशिका में उनकी उपस्थिति बता रखी है। इस प्रकार दिनांक 12.12.2015 को बिना अपीलांट के अभिभाषक को सुने कानून के खिलाफ निर्णय व डिक्री पारित किया है।

49 अपीलांट, रेस्पोडेंट एवं अन्य खातेदारों का सजरा इस प्रकार है। रोड़ा तथा घीसू दो भाई थे, रोड़ा का लड़का लक्ष्मण था और घीसू के दो लड़के भीमा व भावा एवं लड़की मेथी बाई थी। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स घीसू के वंशज हैं, भीमा के वारिस अपीलांट्स है तथा भावा के वारिस रेस्पोडेंट्स है।

50 रोड़ा के वारिसों ने अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा सन् 1990 में विवादित आराजियात को खाते लगाने एवं बंटवारा का दावा किया था जो दिनांक 30.05.1994 को दावा डिक्री किया, इस निर्णय की पालना में ही नामान्तरकरण तस्दीक कर रोड़ा के वारिसों एवं अपीलांट का नाम खातेदारी में दर्ज किया जाकर रोड़ा के वारिसों का हिस्सा बंटवारा के आधार पर अलग खाता कायम किया गया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट का हिस्सा शामलाती रखा गया ।

51 उक्त निर्णय के खिलाफ रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 14 ने श्रीमान् के न्यायालय में अपील पेश की थी जो दिनांक 29.06.2012 को खारिज हो चुकी है जो रेसजुडिकेटा की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलांट एवं अभिभाषक को सुने गलत तरीके से कानून के खिलाफ लोक अदालत में निर्णय पारित किया है। दावे में अपीलांट का गलत तरीके से जवाब बन्द कर दिया तथा अपीलांट की

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

साक्ष्य भी नहीं ली गई तथा रेस्पोडेंट की साक्ष्य से भी अपीलांट्स के अभिभाषक को जिरह नहीं करवायी गयी।

52 रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 14 ने अपने दावे की मद नं. 8 में दर्ज किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.1994 को निम्न प्रकार से डिक्री पारित की :"वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। ग्राम पीपल्दा, तहसील गंगधार की खतौनी संख्या 124 पर दर्ज 80 बीघा 15 बिस्वा आराजी का वादीगण को प्रतिवादीगण के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा वाद के पैरा नं. 4 में वर्णित आराजी पृथक से वादीगण के खाते दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है।" जब रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 14 (वादीगण) को जानकारी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.1994 को अपने निर्णय एवं डिक्री वादीगण प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया है तो फिर नामान्तरकरण नम्बर 181 दिनांक 24.12.1999 से अपीलांट्स के नाम किस प्रकार से गलत दर्ज हुआ।

53 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.1994 को अपने निर्णय व डिक्री में प्रतिवादीगण लिखा है। प्रतिवादीगण नम्बर 7 व 8 को छोड़कर वादीगण को सहखातेदार घोषित नहीं किया है। अपीलांट्स का उक्त आराजी में हिस्सा नहीं होता तो रोड़ा के वारिसों ने सन् 1990 में विवादित आराजीयात को खाते लगाने एवं बंटवारा का दावा किया था। उस दावे में अपीलांट के पिता को पक्षकार नहीं बनाते। अपीलांट्स का हिस्सा होने के कारण ही रोड़ा के वारिसों ने अपीलांट्स के पिता को प्रतिवादी नम्बर 7 व 8 बनाया था जो काबिल गौर है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.2015 को खारिज फरमाया जावे।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

54 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 14 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.ए. में पेश किया, जिसके कथन इस प्रकार है कि ग्राम पीपल्दा तहसील गंगधार में आराजी कुल किता 42 कुल रकबा 52 बीघा 5 बिस्वा स्थित है उक्त आराजी में से अपीलांट्स का नाम हटाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश कि कि अपीलांट के पिता ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादग्रस्त आराजी बतौर सहखातेदार अपना नाम भी नामान्तरकरण नम्बर 181 से दिनांक 24.12.99 को दर्ज करा लिया जो माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.05.1994 के आधार पर दर्ज करना जाहिर किया जो कतई गलत है।

55 रेस्पोडेंट नम्बर 2 व 14 ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 को दावे के बारे में नहीं बताया और दावे में वादी नम्बर 1 बना दिया। रेस्पोडेंट नम्बर 1 को अपीलांट्स द्वारा अपील करने पर जानकारी में आया कि अन्य वादीगण ने दावे में मुझे भी वादी नम्बर 1 बनाया। रेस्पोडेंट नम्बर 2 व 14 ने यह सारी कार्यवाही रेस्पोडेंट नम्बर 1 को धोखे में रखकर की है तथा रेस्पोडेंट नम्बर 1 का अंगूठा भी गुमराह कर लगवाया है। विवादित आराजी में अपीलांट्स का हिस्सा है किन्तु रेस्पोडेंट नम्बर 2 व 14 की नियत खराब हो गई तथा रेस्पोडेंट नम्बर 2 व 14 अपीलांट की आराजी हड़पना चाहते हैं जिस कारण झूठे व बनावटी कथनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किया है जो खारिज होने योग्य है।

56 रोड़ा तथा घीसू दो भाई थे, रोड़ा का लड़का लक्ष्मण था और घीसू के दो लड़के भीमा व भावा एवं लड़की मैथी बाई थी। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स घीसू के वंशज हैं, भीमा के वारिस अपीलांट्स है तथा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

भावा के वारिस रेस्पोडेंट्स है। रोड़ा के वारिसों ने अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा सन् 1990 में विवादित आराजियात को खाते लगाने एवं बंटवारा का दावा किया था जो दिनांक 30.05.1994 को दावा डिक्री किया, इस निर्णय की पालना में ही नामान्तरकरण तस्दीक कर रोड़ा के वारिसों एवं अपीलांट का नाम खातेदारी में दर्ज किया जाकर रोड़ा के वारिसों का हिस्सा बंटवारा के आधार पर अलग खाता कायम किया गया तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट का हिस्सा शामलाती रखा गया । अपीलांट्स अपने हिस्से की आराजी पर काश्त कर रहे हैं तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.2015 को खारिज फरमाया जावे।

57 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

58 हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया एवं उभयपक्षीय अभिभाषकगणों की लिखित बहस पर मनन किया।

59 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि उभयपक्षकारान को जवाब एवं साक्ष्य पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं किये गये हैं और न ही जिरह करने का अवसर प्रदान किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

60 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.12.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनकर अपील में वर्णित बिन्दुओं का बिन्दुवार निस्तारण करते हुए गुणावगुण, साक्ष्य वं सुनवायी एवं गवाहों से जिरह का समुचित अवसर प्रदान कर तथा तनकीयात कायम कर, पुनः विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.03.2023 को उपस्थित होवें।

61 निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/1/2023

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा